

असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड 1

PART I—Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित

#### **PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 141]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2014/ज्येष्ठ 12, 1936

No. 141]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2014/JYAISTHA 12, 1936

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क सुरक्षा)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2014

सं. 25035/62/2012-आरएस. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 295/2012, एस. राजासीकरन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 22 अप्रैल, 2014 के अपने आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालय की ओर से मॉनीटरिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक समिति गठित की थी और केन्द्रीय सरकार को समिति के संघटन को अधिस्चित करने के निर्देश दिए थे । तदनुसार, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा यथा-निर्धारित समिति के संघटन को निम्नानुसार अधिस्चित करती है:—

क्र. सं.	नाम	
1,	माननीय न्यायाधीश श्री के. एस. राधाकृष्णन,	अध्यक्ष
	भारत का उच्चतम न्यायालय	
	(15 मई, 2014 से प्रभावी)	and the second s
2.	श्री एस. सुंदर,	सदस्य
	प्रख्यात फेलो, टीईआरआई,	
	पूर्व सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार	
3.	डॉ. (श्रीमती) निशि मित्तल,	सदस्य
	पूर्व मुख्य वैज्ञानिक, सीआरआई,	
	पूर्व विभागाध्यक्ष, यातायात इंजीनियरिंग और सुरक्षा (टीईएस),	
	केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान	

समिति, न्यायालय की ओर से, माननीय उच्चतम न्यायालय के 22 अप्रैल, 2014 के आदेश द्वारा यथा-निर्देशित कार्रवाई शुरू करेगी ।

2. समिति के अध्यक्ष और इसके सदस्यों को पारिश्रमिक और पूर्वापेक्षाओं का निर्धारण संबंधित व्यक्तियों के साथ परामर्श करके और प्रचलित मानकों के अनुसरण में किया जाएगा ।

> [सं. आरटी-25014/4/2012-आरएस] संजय बंधोपाध्याय, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### (ROAD SAFETY)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2014

No. 25035/62/2012-RS.— The Hon'ble Supreme Court of India vide its order dated 22nd April, 2014 in the matter of Writ Petition (Civil) No. 295 of 2012, S. Rajaseekaran Vs. Union of India and Others, inter-alia, constituted a Committee to undertake the process of monitoring on behalf of the court, and directed the Central Government to notify the composition of the committee forthwith. Accordingly, the Central Government hereby notify the composition of the Committee as stipulated by the Hon'ble Court, as follows:—

S. No.	Name	To the second se
1.	Hon'ble Mr. Justice K.S. Radhakrishnan Supreme Court of India (Effective from 15th May, 2014)	Chairperson
2.	Mr. S. Sundar, Distinguished Fellow, TERI Former Secretary, Ministry of Surface Transport, Government of India	Member
3.	Dr. (Mrs.) Nishi Mittal Ex. Chief Scientist, CRRI, Formerly HoD, Traffic Engineering and Safety (TES), Central Road Research Institute	Member

The Committee will, on behalf of the Court, undertake action as directed by the Hon'ble Supreme Court vide their order dated 22nd April, 2014.

The remuneration and prerequisites of the Chairman of the Committee and its members will be fixed in consultation with the individuals concerned and in accordance with the prevailing norms.

[No. RT-25014/4/2012-RS]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.